संख्या-876/2017/2116/22-2-2017-17(30)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 14 नवम्बर, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शौकत शाह पुत्र श्री इम्मन शाह, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-30942/प्रोबेशन-3(एम-17.11.2016) दिनांक-26.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शौकत शाह पुत्र श्री इम्मन शाह, निवासी ग्राम-आमतारा, थाना-पचदेवरा, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 29.06.2000 को सायं लगभग 08.30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरे से मारकर सहमुल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विर्शेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट,हरदोई के आदेश दिनांक 20.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार एवं 21 वर्ष 05 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-71 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दोनों पक्षों के मध्य मारपीट को लेकर चल रही रंजिश में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.06.2000 को छुरे से मारकर सहमुल्ला नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु'-70 वर्ष लगभग है। बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति सन्तोषाजनक है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शौकत शाह पुत्र श्री इम्मन शाह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शौकत शाह (बन्दी संख्या-17786) पुत्र श्री इम्मन शाह, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-876/2017/2116(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कागारार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-876/2017/2116@22-2-2017-17(30)/2017

दिनांक 14 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध बन्दी शौकत शाह (बन्दी संख्या-17786) पुत्र श्री इम्मन शाह, निवासी ग्राम-आमतारा, थाना-पचदेवरा, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 29.06.2000 को सायं लगभग 08.30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरे से मारकर सहमुल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र/विर्शेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट,हरदोई के आदेश दिनांक 20.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार एवं 21 वर्ष 05 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-71 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दोनों पक्षों के मध्य मारपीट को लेकर चल रही रंजिश में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.06.2000 को छुरे से मारकर सहमुल्ला नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु'-70 वर्ष लगभग है। बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति सन्तोषाजनक है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शौकत शाह पुत्र श्री इम्मन शाह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।